

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-13/अ0प्र0-01-02/2024

प्रेषक,

5444

पटना, दिनांक 18/9/24

आदित्य प्रकाश

सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार

वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय:-

मांग संख्या-37 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-3054- सड़क तथा सेतु- उप मुख्य शीर्ष -04-जिला तथा अन्य सड़कें-लघु शीर्ष -105- रख-रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष 0001-ग्राम सड़क- अन्य रख-रखाव व्यय के 27 02 सड़क अनुरक्षण इकाई मद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रावधानित राशि ₹ 200000.00 लाख (दो हजार करोड़) रु0 मात्र के विरुद्ध राशि ₹ 53000.00 लाख (पाँच सौ तीस करोड़) रु0 मात्र की राशि ब्राडा के पी0एल0/लेजर में संधारण हेतु व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि मुख्य शीर्ष-3054- सड़क तथा सेतु -उप मुख्य शीर्ष -04-जिला तथा अन्य सड़कें-लघु शीर्ष -105-रख-रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष 0001-ग्राम सड़क- अन्य रख-रखाव व्यय के 27 02 सड़क अनुरक्षण मद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रावधानित राशि ₹ 200000.00 लाख (दो हजार करोड़) रु0 के विरुद्ध सम्प्रति निकासी की अधिसीमा में अवशेष राशि ₹ 58020.67075 लाख रु0 के अधीन बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के तहत निर्मित पथों के भुगतान के निमित्त ₹ 45000.00 लाख (चार सौ पचास करोड़) रु0 मात्र ब्राडा के Ledger ID- 7069 में एवं बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत पथों में कराये गये कार्य के पंचवर्षीय अनुरक्षण हेतु ₹ 8000.00 लाख (अस्सी करोड़) रु0 मात्र ब्राडा के Ledger ID- 15872 में अर्थात् कुल राशि ₹ 53000.00 लाख (पाँच सौ तीस करोड़) रु0 मात्र की व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसका विपत्र कोड 37-3054041050001 है।

2. इस राशि का व्यय मांग संख्या-37 मुख्य शीर्ष-3054- सड़क तथा सेतु -उप मुख्य शीर्ष -04-जिला तथा अन्य सड़कें-लघु शीर्ष -105-रख-रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष 0001-ग्राम सड़क- अन्य रख-रखाव व्यय के 27 02 सड़क अनुरक्षण मद में विकलनीय होगा।
3. स्वीकृत राशि का व्यय बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में ही किया जाएगा।

Chandra

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा
अनौपचारिक रूप से परामर्शित

4. उक्त द्वारा उपलब्ध कराये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित एजेन्सी के द्वारा महालेखाकार को भेजते हुए ग्रामीण कार्य विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।
5. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि० (2) दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक ब-15/बी०एस०जी०-09/2024-214 दिनांक-06.03.2024 के आलोक में निर्गत किया जायेगा।
6. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 475ए बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों को ध्यान में रखते हुये दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
7. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-13/अ०प्र०-01-02/2024 के पृष्ठ संख्या-27/टि० पर दिनांक-30.08.2024 को प्राप्त है।
8. इस राशि के व्यय की स्वीकृति माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग से संचिका संख्या-13/अ०प्र०-01-02/2024 के पृ०-28/टि० पर दिनांक-06.09.2024 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक -13/अ०प्र०-01-02/2024 5444 /पटना, दिनांक 18/9/24

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन कोषागार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक -13/अ०प्र०-01-02/2024 5444 /पटना, दिनांक 18/9/24

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा/विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी मुख्य अभियंता, ग्रा०का०वि०, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रा०का०वि०, बिहार, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रा०का०वि०/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रा०का०वि०/संबंधित नोडल पदाधिकारी, ग्रा०का०वि०/वित्त विभाग (बजट शाखा) एवं योजना एवं विकास विभाग (योजना शाखा), बिहार, पटना एवं प्रशाखा पदाधिकारी-12 (लेखा शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-01-04/2024 5444 /पटना, दिनांक 18/9/24

प्रतिलिपि:- प्रबंधक, सूचना प्रावैधिकी, ग्रा०का०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

Chandra